प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 28 अक्टूबर, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शिवराज पुत्र श्री प्यारे यादव, निवासी जनपद-बदायूँ की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक(मु0), कारागार के पत्र संख्या-16636/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-01.05.2023), दिनांक-19.05.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शिवराज पुत्र श्री प्यारे यादव जो नसीर नगर, थाना-उसहैत, जनपद-बदायूँ का निवासी है। बंदी ने दिनांक-01.05.2006 को जमीनी विवाद के कारण तमन्चे से गोली मारकर कल्लू नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु सिद्धदोष बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-708/2006 में भा०द०वि० की धारा-302 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट सं0-05, बदायूँ के आदेश दिनांक 07.11.2009 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी की अपील मा० उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। बन्दी द्वारा दिनांक 13.04.2022 तक अपरिहार 15 वर्ष, 11 माह, 08 दिन तथा 20 वर्ष, 01 माह की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बदायूँ द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध जघन्य अपराध की श्रेणी में होने, भविष्य में अपराध करने से इन्कार नहीं किये जाने, बन्दी के पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, बदायूँ द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है किन्तु बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी द्वारा दिनांक 01.05.2006 को जमीनी विवाद के कारण तमन्चे से गोली मारकर कल्लू नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी शिवराज पुत्र श्री प्यारे यादव को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ केन्द्रीय कारागार बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शिवराज (बन्दी संख्या-46180) पुत्र श्री प्यारे यादव, निवासी जनपद-बदायूँ के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या-1255/2025/2307(1)/22-2-2023 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- जिला मजिस्ट्रेट, बदायूँ।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार बरेली।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-1255/2025/2307/22-2-2023-17(524)/2025

दिनांक:28 अक्टूबर, 2025 का संलग्नक

केन्द्रीय कारागार बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शिवराज पुत्र श्री प्यारे यादव जो नसीर नगर, थाना-उसहैत, जनपद-बदायूँ का निवासी है। बंदी ने दिनांक-01.05.2006 को जमीनी विवाद के कारण तमन्चे से गोली मारकर कल्लू नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु सिद्धदोष बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-708/2006 में भा०द०वि० की धारा-302 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट सं0-05, बदायूँ के आदेश दिनांक 07.11.2009 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी की अपील मा० उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। बन्दी द्वारा दिनांक 13.04.2022 तक अपरिहार 15 वर्ष, 11 माह, 08 दिन तथा 20 वर्ष, 01 माह की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बदायूँ द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध जघन्य अपराध की श्रेणी में होने, भविष्य में अपराध करने से इन्कार नहीं किये जाने, बन्दी के पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, बदायूँ द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है किन्तु बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी द्वारा दिनांक 01.05.2006 को जमीनी विवाद के कारण तमन्चे से गोली मारकर कल्लू नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी शिवराज पुत्र श्री प्यारे यादव को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।